कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्याः 1420 / XXV–12(P-7) / 2008 देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2019.

सेवा में,

श्री चरणसिंह सैनी पुत्र री समयसिंह
निवासी 266 / 31, गली नं0 4, खन्नानगर,
ज्वालापुर, हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित क जा रही है।

दिनांक 14 फरवरी, 2019 को श्री ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के संबंध में शिकायती पत्र में की गई कार्यवाही के संबंध में।	इस कार्यालय के पत्र संख्या–1337 / XXV-02 / 2018 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को उक्त शिकायती पत्र के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। (पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न)

संलग्न–यथोपरि 01 पृष्ठ

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागी अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1337 /XXV–02/2018 देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2019.

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में तैनात श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के द्वारा विधान सभा चुनाव 2017 के कराये जाने के उपरान्त भी अन्य जनपद में स्थानान्तरण न किये जाने के सन्दर्भ में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समयसिंह निवासी 266/31, गली नं0 4, खन्नानगर, ज्वालापुर, हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 14–03–2019 की (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायती पत्र में श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार कई वर्षो से जनपद हरिद्वार में सेवारत होने एवं विभिन्न गम्भीर आरोप लगाये हुए अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेशं हुआ है कि कृपया संदर्भित प्रकरण पर अपने स्तर से जॉचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या–1337 /XXV–02/2018 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1– श्री चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समयसिंह निवासी 266/31, गली नं0 4, खन्नानगर, ज्वालापुर, हरिद्वार

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्रमाणित प्रति

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

Compallin

आवेदन–पत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005(अधिनियम सं0 22 / 2005) के अन्तर्गत

अनुरोध कर्ता का नाम –चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समयसिंह

अनुरोध कर्ता का पता– 266 / 31 गली नं0–4 खन्नानगर ज्वालापुर जिला हरिद्वार–249407

लोक सूचना अधिकारी–श्रीमान लोक सूचनाधिकारी कार्यालय **श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून–248001**

महोदय,

आपके कार्यालय से निम्नलिखित सूचनाओ की आवश्यकता है–

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र **श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून–248001** को दिनांक 14.03.2019 को भेजा गया था। जिसकी छायाप्रति साथ संलग्न है, पर सूचना दिये जाने के दिनांक तक जो भी कार्यवाही की गयी है, उस कार्यवाही की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

दिनांक–18.03.2019

संलग्नकः–पोस्टल आर्डर मूल्य–10 / –रू0

नम्बर–39 F-397892

चरणसिंह सैनी

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय,
उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून—248001

<u>विषय—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में तैनात श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के द्वारा विधान सभा चुनाव 2017 के कराये जाने के उपरान्त भी अन्य जनपद में स्थानान्तरण न किये जाने के सन्दर्भ में।</u>

महोदय,

निवेदन है कि श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार, जनपद हरिद्वार में कई वर्षो से सेवारत है। उनके द्वारा ही पिछला उत्तराखण्ड विधान सभा का चुनाव कराया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की गाईड लाईन के अनुसार /नियमानुसार कोई भी अधिकारी जिसने राज्य के किसी भी जनपद में विधान सभा का चुनाव कराया हो, उस जनपद में लोक सभा का चुनाव नही करा सकता। लेकिन श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार द्वारा जनपद हरिद्वार में विधान सभा का चुनाव कराया गया था। बावजूद इसके इस प्रकार के समस्त अन्य अधिकारियो के स्थानान्तरण अन्य जनपद किये जा चुके है। लेकिन श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार की सैटिंग—गैटिंग देखिये वे इस परिधि में आने के बावजूद हरिद्वार जैसे महत्व पूर्ण संवेदनशील जनपद में डटे हुए है। तथा भारत निर्वाचन आयोग की गाईड लाईन का मखौल उडा रहे है। भारत निर्वाचन आयोग की गाईड—लाईन जब अन्य अधिकारियो पर लागू की गयी है तो श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार, इससे क्यो वंचित रह गये।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार ने सभी पूरब के अधिकारियो का एक **Whatsapp Group** बना रखा है जिसमें पर्वतीय मूल के अधिकारियो का उपहास उडाया जा रहा है। यह मसला देहरादून से प्रकाशित एक समाचार पत्र में भी छप चुका है। दुसरे श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार घर—घर जाकर लोगो को अपने न्यायालय में वादो की पैरवी के लिए वकील बदलने को कह रहे है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी अपने पसन्द के वकील नियुक्त कर उनके माध्यम से सुविधा का सन्तुलन बनाकर अपने पद का दुरूपयोग कर रहे है, तथा मोटी रकम वसूल रहे है।

अतः आपसे निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखकर भारत निर्वाचन की गाईड—लाईन के अनुसार श्री ललित नारायण मिश्रा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार का स्थानान्तरण तत्काल अन्य जनपद में कराने के आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी महति कृपा होगी।

दिनांक—14.03.2019

<u>प्रार्थी</u>

चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समयसिंह
निवासी 266/31, गली नं0 4,खन्नानगर,
ज्वालापुर,हरिद्वार